वित्तीय वर्ष 2023–24 में उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग द्वारा राज्य सरकार को दिये गये सुझाव

1. उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग की (प्रकीर्ण एवं कार्य संचालन) विनियमावली–2019 की स्वीकृति।

2. उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग के वार्षिक प्रत्यावेदन को प्रत्येक वर्ष विधान–सभा पटल पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाय।

3. अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था को अल्पसंख्यक प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु मा0 आयोग को अधिकृत किया जाय।

4. अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग के शासनादेश सं0–65/XVII–3/16–60(स.क.)/2013–टी0 सी0 दिनांक 15.01.2016 में उल्लिखित प्राविधानानुसार राज्य में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 15 प्रतिशत बजट अल्पसंख्यकों हेतु जारी किया जाय।

5. प्रदेश में सभी सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को सहायक समाज कल्याण अधिकारी की भांति अल्पसंख्यक बाहुल्य विकासखण्डों में तैनात किया जाय।

6. प्रदेश में उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग द्वारा अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं का सर्वेक्षण किया गया, जिसमें लगभग 3 लाख से अधिक छात्र/छात्राएं अध्ययनरत् पाये गये, किन्तु छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत अति न्यून लगभग 5 प्रतिशत ही छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति से लाभान्वित किया गया। विभाग स्तर पर इसमें कोई रूचि नहीं ली जा रही है। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना को शिक्षा विभाग व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के माध्यम से अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार कर गरीब अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया जाय।

7. उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग में एक अल्पसंख्यक समुदाय से अधिवक्ता सदस्य नामित किया जाय।

8. उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग में नामित सदस्यों के मानदेय की धनराशि को रू0 6000/– से बढ़ाकर उत्तर–प्रदेश की भांति रू0 25,000/– किया जाय।

9. अल्पसंख्यक विकास निधि एवं अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में विकास संबंधी निर्माण कार्य योजनान्तर्गत प्राविधानित बजट को बढ़ाते हुए रू0 10–10 करोड़ किया जाय।

10. राज्य लोक सेवा आयोग में अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति को भी एक सदस्य के रूप में नामित किया जाय।

11. मुख्यमंत्री हुनर योजनान्तर्गत वक्फ विकास निगम के बजट को रू0 10 करोड़ स्वीकृत किया जाय।

12. अल्पसख्यक समुदाय के गरीब परिवारों के मेधावी बच्चों को निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की जाय।

13. भारत एवं राज्य सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन समय से सम्पन्न कराये जाने हेतु अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में निदेशक व उप निदेशक के पद पर पूर्णकालिक नियुक्ति की जाय।

14. अल्पसंख्यक कल्याण भवन परिसर में जनहित में एक 100 सीटों का ऑटोडोरियम की स्वीकृति प्रदान की जाय।

15. राज्य सरकार की कक्षा–1 से कक्षा–10 तक की छात्रवृत्ति की अनुदान धनराशि बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाय।

16. अल्पसंख्यकों के निर्धन परिवारों की बालिकाओं हेतु अल्पसख्यंक बालिका विवाह हेतु अनुदान योजना स्वीकृत की जाय।

17. चार धाम यात्रा मार्ग की केन्द्रीय व प्राचीन श्रीनगर स्थित जैन मंदिर को पर्यटन मानचित्र पर लाये जाने हेतु पर्यटन विभाग से सरकार दिशा–निर्देश जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

18. उत्तराखण्ड राज्य में स्थित पंजीकृत/अपंजीकृत कब्रिस्तान/सेमेन्टरी की चाहरदीवारी हेतु कब्रिस्तान की चाहरदीवारी योजना को पुनः लागू किया जाय।

19. उत्तराखण्ड राज्य के प्रत्येक जनपद स्तर पर अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ/रक्षोपाय हेतु समस्यों के निराकरण हेतु प्रत्येक जनपद स्तर से एक व्यक्ति को सदस्य नामित किया जाय।